न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)
पीठासीन अधिकारीः— प्रीतम कुमार, आई.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः—12/2026
वादीः—

हुक्माराम पुत्र स्व. श्री गोमाराम, जाति—जाट, उम्र— 35 वर्ष, निवासी— भाकलो का वास, ग्राम थबुकड़ा तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. करनाराम पुत्र स्व. श्री गोमाराम, जाति—जाट, निवासी— भाकलो का वास, ग्राम थबुकड़ा तहसील व जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

उपस्थितिः— **दिनांकः—** 10/4/26

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश प्रजापति।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश चौधरी।
3. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार।

वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य सक्षेंप इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 दोनो आपस में सगे भाई है व स्व. गोमाराम के जायन्दा पुत्र है व एक ही पिता के पुत्र है एवं ग्राम थबुकड़ा पटवार हल्का लोरड़ी पंड़ितजी तहसील व जिला जोधपुर के मूल निवासी है। प्रतिवादी सं. 01 के नाम की खातेदारी भूमि वाके ग्राम थबुकड़ा पटवार हल्का लोरड़ी पंड़ितजी तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 151/2, 173/1, 258/1, 287, 348/1, 576 कुल खसरान् 06 कुल क्षैत्रफल 6.4749 हैक्टेयर की कृषि भूमि आयी हुई है। जिसके खाता संख्या नया 58 व पुराना 51 जिसकी ताईद अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2080 से 2083 जमाबंदी 2081 से स्पष्ट है। उपरोक्त खातेदारी की कृषि भूमि जो कि पैतृक कृषि भूमि है जो पिता की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या एक के नाम से खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी उस समय वादी व प्रतिवादी संख्या एक दोनो नाबालिग थे व साथ ही वादी के पिता की मृत्यु हुई थी उस समय वादी की उम्र 03 वर्ष की थी इसलिए प्रतिवादी संख्या एक के नाम खातेदारी म्यूटेशन सं. 459 के जरिये गोमाराम पुत्र बिरमाराम फौत हो चुका है उनके जायन्दा उतराधिकारी पुत्र के नाम नामान्तरकरण भरा गया। इस प्रकार म्यूटेशन के कॉलम नं. 11 में कोजाराम पुत्र गोमाराम नाबालिग वली माता पुनकी बेवा गोमाराम जाति जाट साकिन देह खातेदार दर्ज किया गया इस प्रकार गोमाराम के दो पुत्र होने के बावजूद भी एक पुत्र प्रतिवादी संख्या एक कोजाराम उर्फ करनाराम के नाम से नामान्तरकरण भरा गया इस प्रकार पैतृक कृषि भूमि होने के बावजूद भी खातेदारी एक पुत्र कोजाराम उर्फ करनाराम के नाम से ही दर्ज हो गयी। कालान्तर में कोजाराम उर्फ करनाराम व्यस्क होने पर माता पुनकी बेवा को जरिये संरक्षक का नाम हटा कर करनाराम के नाम से खातेदारी दर्ज कर ली गई। कोजाराम ने अपनी खातेदारी में से खसरा नं. 92/2 की रकबा

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर

12 बीघा 03 बिस्वा भूमि व खसरा नं. 348/1 की भूमि को परिवार के हितो को मध्यनजर रखते हुए करनाराम द्वारा उक्त दोनो खसरो की कृषि भूमि को बैचान कर दी गई उक्त बैचान की गई भूमि में मुझ वादी का हित भी शामिल था। कोजाराम उर्फ करनाराम ने म्यूटेशन नं. 1016 दिनांक 06.07.2016 न्यायालय आदेश से अपने नाम शुद्धिकरण कोजाराम पुत्र गोमाराम के स्थान पर करनाराम पुत्र गोमाराम दर्ज करवा कर नाम शुद्धिकरण करवाया। गोमाराम के स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या एक के नाम भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। जबकि अकेले करनाराम के नाम दर्ज की गई जबकि वादी व प्रतिवादी संख्या एक का 1/2, 1/2 भाग पर खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी। वादी व प्रतिवादी संख्या एक अलग-अलग अपने-अपने 1/2, 1/2 हिस्से पर कृषि कार्य करते है। हाल ही में दोनो भाई आपस में अलग-अलग हो गये व खसरान् की भूमि का मौके पर अलग-अलग बांट ली व अपने-अपने हिस्से में कृषि कार्य कर रहे है। वादी ने बंटवाड़ा करने का निवेदन किया तो वह आनाकानी करने लगा जब जोर देकर पुछा तो बंटवाड़ा क्यों नहीं करते हो तब बताया कि सम्पूर्ण कृषि भूमि मेरे नाम से है इसलिए तुम्हे कोई बंट, हिस्सा नहीं मिलेगा तब वादी ने पटवारी से जाकर जमाबंदी व म्यूटेशन की नकल मांग की तब वादी को पता चला व आश्चर्य हुआ कि दोनो भाई एक ही पिता की औलाद होने के बावजूद भी एक ही भाई के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या एक येन-केन प्रकारेण उक्त कृषि भूमि का बैचान करने पर आमदा है। वादी द्वारा बंटवाड़े की मांग की व खातेदारी में नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादकारण पैदा हुआ। प्रतिवादी संख्या एक ने वादी के नाम भूमि करवाने से इनकार कर दिया तब माननीय न्यायालय की शरण लेकर यह वाद पेश करने के अलावा अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहा है। उपरोक्त खसरान् की भूमियों में वादी के नाम से खातेदारी घोषणा किया जाने हेतु घोषणा का वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

अन्त में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम थबुकड़ा पटवार हल्का लोरड़ी पड़ितजी तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 151/2 रकबा 0.5180 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 173/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 258/1 रकबा 0.8579 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 287 रकबा 1.3759 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 348/1 रकबा 0.9065 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 576 रकबा 1.1979 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरान् 06 कुल रकबा 6.4749 हैक्टेयर की भूमियों में वादी के नाम से 1/2 खातेदारी घोषित कर वादी के नाम से भी उपरोक्त भूमि को 1/2 खातेदारी दर्ज करने का आदेश फरमावें एवं खातेदारी घोषणा की जावें। अन्य उचित आदेश वादी के पक्ष में हो प्रदान करवाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण संख्या 01 करनाराम की ओर से जवाबदावा इकबालिया प्रस्तुत किया गया। उक्त इकबालिया जवाब में वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित सभी तथ्यों को स्वीकार करते हुए वादपत्र में वर्णित कृषि भूमियों में वादी को 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया।

वादी की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 06 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 01 के स्वीकृत तथ्यों को आधार पर डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली में वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र के तथ्यों स्वीकोरित कर लिया गया है ऐसी अवस्था में उक्त वाद में तनकियात्, साक्ष्य, इत्यादि लिये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं ने वादपत्र व जवाबदावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड) जोधपुर

हमने प्रस्तुत वादपत्र, जवाबदावा, प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 06 सी.पी.सी., राजस्व अभिलेखों, उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्को एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन कर उस पर विचार किया गया। वादी की ओर से वादपत्र 88 घोषणा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कर वादपत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमियों वादी को 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादी सं. 01 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा का अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 ने यह स्वीकार किया है कि मृतक खातेदार स्व. गोमाराम का वादी वैध वारिस है उसके दोनो पुत्र करनाराम एवं हुक्माराम है और पूर्व में विरासत् का दर्ज नामान्तरकरण 459 में दुसरे पुत्र वादी हुक्माराम का नाम अनजाने में छूट गया। यानि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमियों में स्व. गोमाराम के फौत होने पर केवल अकेले ही प्रतिवादी सं. 01 का नाम दर्ज किया गया जबकि वादी भी स्व. गोमाराम का वैध वारिस था उसका भी नाम राजस्व रिकॉर्ड में आना चाहिए था। इस प्रकार वाद में किसी भी पक्षकार द्वारा इस सम्बधं में कोई विवाद या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। सभी पक्षकारों द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई कि राजस्व अभिलेखों में दोनो वारिसों का नाम दर्ज कर वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के घोषित किया जावें। प्रतिवादी सं. 01 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में तथ्यों की स्पष्ट स्वीकृति (Admission) होने के कारण विवाद का कोई बिन्दु शेष नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 12 नियम 06 के सिद्धांत पूर्णतया लागू होता है। ऐसी अवस्था में वादी को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादपत्र में वर्णित उपरोक्त कृषि भूमियों को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित व उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर मौजा थबुकड़ा पटवार हल्का लोरड़ी पंड़ितजी तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 151/2 रकबा 0.5180 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 173/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 258/1 रकबा 0.8579 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 287 रकबा 1.3759 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 348/1 रकबा 0.9065 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 576 रकबा 1.1979 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरान् 06 कुल रकबा 6.4749 हैक्टेयर की भूमियों में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादी को बतौर 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार जोधपुर को यह आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त खसरान् की भूमियों में प्रतिवादी सं. 01 के साथ वादी को 1/2 हिस्से के रूप में राजस्व अभिलेखों में नाम अंकन किया जावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(प्रीतम कुमार)IAS
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

निर्णय आज दिनांक 10/4/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीतम कुमार)IAS
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

डिगरी बमुकदमें इबतदाई
(ऑर्डर 21 रूल 3, 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर मुकाम जोधपुर व इजलास प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)

वादीः—

हुक्माराम पुत्र स्व. श्री गोमाराम, जाति—जाट, उम्र— 35 वर्ष, निवासी— भाकलो का बास, ग्राम थबुकड़ा तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. करनाराम पुत्र स्व. श्री गोमाराम, जाति—जाट, निवारी— भाकलो का बास, ग्राम थबुकड़ा तहसील व जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

दावा बाबत् 88 आर.टी.एक्ट. में मुकदमा नम्बर 12/2026 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू हमारे वादी विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश प्रजापति व श्री राजेश चौधरी विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 01 की ओर से हजारी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः—

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर मौजा थबुकड़ा पटवार हल्का लोरड़ी पड़ितजी तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 151/2 रकबा 0.5180 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 173/1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 258/1 रकबा 0.8579 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 287 रकबा 1.3759 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 348/1 रकबा 0.9065 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 576 रकबा 1.1979 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरान् 06 कुल रकबा 6.4749 हैक्टेयर की भूमियों में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादी को बतौर 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार जोधपुर को यह आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त खसरान् की भूमियों में प्रतिवादी सं. 01 के साथ वादी को 1/2 हिस्से के रूप में राजस्व अभिलेखों में नाम अंकन किया जावें।

लीज....x......मुबलिक...... x .....बाबत्..... x ....खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरह......... x की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......ग........को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख ..10/4/26.. की जारी की गई।

(प्रीतम कुमार) आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर, (उत्तर)

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प जारी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा अहवान् बाबत् इजराय हुक्मनामा मतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकिल फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मतफरिक		

नोट– इस खर्च के फार्म हर दी फरीकेन या वाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

(प्रीतम कुमार) आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर